राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17538/2016

1. चंद्र शेखर शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा, निवासी गाँव जोधावास, डाकघर भंगरोली, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान, रोल नंबर 115062
2. सुखदेव सिंह पुत्र श्री किशनाराम, निवासी, वीपीओ बमानिया, डाकघर बमानिया, तहसील सूरजगढ़, शहर बमानिया, जिला चूरू, राजस्थान - 331506, रोल नंबर 114157
3. चरण सिंह सोलंकी पुत्र श्री मंगती राम सोलंकी, निवासी, गाँव और डाकघर पुराबैखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान, रोल नंबर 114560
4. नितेश कुमार शर्मा पुत्र श्री गौरी शंकर शर्मा, निवासी, गाँव और डाकघर झारेड़ा, तहसील हिंडौनसिटी, जिला करौली, राजस्थान- 322230, रोल नंबर 114187
5. चंद्र शेखर शर्मा पुत्र श्री सुभाष चंद शर्मा, निवासी, मोहल्ला बामनपुरा, बयाना, तहसील बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान, रोल नंबर 115202
6. प्रतिभा शर्मा पुत्री श्री नरहरि दत्त शर्मा, निवासी, गाँव और डाकघर सामोद, तहसील चोमू, जिला जयपुर, राजस्थान, रोल नंबर 115206
7. पूनम जाखड़ पुत्री श्री भानीराम जाखड़, निवासी सेक्टर नंबर 12, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, रोल नंबर 114837
8. वीरेंद्र कौशिक पुत्र श्री अमर नाथ कौशिक, निवासी, वार्ड नंबर 15, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, रोल नंबर 114525

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, सचिवालय, जयपुर-302005 राजस्थान के माध्यम से
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान

----प्रतिवादीगण

<u>इसके साथ जुड़ा हुआ</u>

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 259/2016

1. नंद सिंह राठौर पुत्र श्री गोपाल सिंह राठौर, उम्र लगभग 302/368, जादौन नगर-ए, दुर्गापुरा, जयपुर (राज.)

2. प्रकाश कुमार खत्री पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी डॉ. वी.सी. भंडारी के सामने, तोपखाना के पास, जालोर (राज.)

3. ललिता जीनगर पुत्र श्री रामनिवास जीनगर, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी मांगरी, मोहल्ला, वार्ड नंबर 12, गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

4. नरेंद्र पाल सिंह पुत्र श्री टालेराम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी राजस्थान ग्रामीण बैंक, कोठी रोजविला, सारस होटल भरतपुर (राज.)

5. विक्रम मीना पुत्र श्री सरवन लाल मीना, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी क्वार्टर 198, टाइप-III, सेक्टर-3, सादिक नगर, नई दिल्ली।

6. योगेश त्रिपाठी पुत्र श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी चांदपोल गेट के बाहर, बिहारी मार्ग, सीकर (राज.)

7. दर्शन श्री वर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल वर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वीपीओ सूरानी, वाया. झाड़ली, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, कमरा नंबर 7020, 7226 फूड बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर - 302005 (राजस्थान) के माध्यम से

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान

3. अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री पूरन चंद, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी पुराने डाकघर के पास, वी.पी.ओ. मालखेड़ा, जिला अलवर (राजस्थान)। रोल नंबर 118511

4. राजेश कुमार पुत्र श्री करण सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी गाँव जीतरेड़ी, डाक सिम्ला कला, तहसील नगर, जिला भरतपुर (राजस्थान), रोल नंबर 102908

5. राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्याम सुंदर, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी पंचायत बानसूर के पीछे, अलवर (राजस्थान), रोल नंबर 102954

6. भुवनेश कुमार पुत्र श्री टेक चंद, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी 21, मंगल विहार एक्सटेंशन, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर

7. विमलेश कुमार चौधरी पुत्र श्री बोदी लाल जाट, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वीपीओ राडावास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, रोल नंबर 120756

8. कमल कांत शर्मा, रोल नंबर 122337

9. राकेश शर्मा, रोल नंबर 117838

10. पवन कुमार, रोल नंबर 122213

11. अलका रानी, रोल नंबर 114072

12. पुनीत मदान, रोल नंबर 108306

13. रिपेंद्र चौबे, रोल नंबर 118831

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

14. भांवरा राम, रोल नंबर 117334

15. प्रदीप कुमार शर्मा, रोल नंबर 100914

16. खुशबू शर्मा, रोल नंबर 116686

17. उमा शंकर शर्मा, रोल नंबर 122595

18. इला गिरी, रोल नंबर 117718

19. संदीप भारद्वाज, रोल नंबर 116622

20. मनवेंद्र सिंह गौर, रोल नंबर 123118

21. रणवीर सिंह, रोल नंबर 116326

22. राम प्रकाश कश्यप, रोल नंबर 121837

23. हरीश कुमार गुप्ता, रोल नंबर 117607

24. वंदना दत्ता, रोल नंबर 116917

25. कृष्णा कुमार सैनी, रोल नंबर 123611

26. सोनू महर्षि, रोल नंबर 117714

27. सीता शर्मा, रोल नंबर 103426

28. अमित शर्मा, रोल नंबर 102974

29. कमलेश कुमार शर्मा, रोल नंबर 120376

30. सिद्धार्थ सिंह हपाव, रोल नंबर 114663

31. गगनदीप ग्रोवर, रोल नंबर 103021

32. रवि घिंटाला, रोल नंबर 120029

33. अक्षय शर्मा, रोल नंबर 119332

34. आनंद व्यास, रोल नंबर 100267

35. सत्य भान सिंह हाड़ा, रोल नंबर 108833

36. विवेक कुमार त्रिपाठी, रोल नंबर 120675

37. खुशाल डैया, रोल नंबर 118349

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

38. पूनम कुमारी गुप्ता, रोल नंबर 116518

39. मोहन शर्मा, रोल नंबर 116571

40. चंद्र वाला, रोल नंबर 120839

41. मीनाक्षी व्यास, रोल नंबर 118983

42. पंकज अग्रवाल, रोल नंबर 116951

43. मनीषा सिंह, रोल नंबर 119198

44. राकेश शर्मा, रोल नंबर 102300

45. कुलदीप सिंह, रोल नंबर 120541

46. कानाराम मीना, रोल नंबर 114644

47. प्रीति गोयल, रोल नंबर 102631

48. परवत सिंह राजपुरोहित, रोल नंबर 114194

49. गिरिराज कसाना, रोल नंबर 114342

50. पंकज सिंह यादव, रोल नंबर 114084

51. गीता गुप्ता, रोल नंबर 114084

52. माधव सिंह राठौर, रोल नंबर 122663

53. ओम प्रकाश, रोल नंबर 103351

54. गिरधारी, रोल नंबर 108929

55. माजिद खान मोयल, रोल नंबर 122818

56. अनुपमा भटनागर, रोल नंबर 102259

57. ज्योति व्यास, रोल नंबर 118956

58. जितेंद्र सिंह शेख, रोल नंबर 117045

59. प्रदीप, रोल नंबर 123094

60. कुमारी कंचन सिंह, रोल नंबर 118061

61. आनंद सिंह शेखावत, रोल नंबर 100691

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

62. राम बिलास शर्मा, रोल नंबर 102451

63. लेघा दीपक रंजीत, रोल नंबर 117169

64. राजीव जिंदल, रोल नंबर 102979

65. हरगोविंद शर्मा, रोल नंबर 119037

66. सुरेश चौधरी, रोल नंबर 119450

67. कल्पना पारीक, रोल नंबर 114861

68. कृष्ण कुमार शर्मा, रोल नंबर 116181

69. कुशल पाल सिंह, रोल नंबर 118193

70. छत्रुगुन खालदानिया, रोल नंबर 117150

71. सतीश कुमार, रोल नंबर 118525

72. श्रीकृष्ण शर्मा, रोल नंबर 122573

73. भारत अजमेरा, रोल नंबर 120941

74. सागर तिवारी, रोल नंबर 120708

75. शिव पुरी, रोल नंबर 117254

76. हितेश कुमार यादव, रोल नंबर 117572

77. कन्हैया लाल जोशी, रोल नंबर 112870

78. जाकिर हुसैन, रोल नंबर 123354

79. पंकज कुमार गुप्ता, रोल नंबर 123375

80. खेमराज नामा, रोल नंबर 114115

81. सोनिया, रोल नंबर 119165

82. रंजीत कौर, रोल नंबर 122528

83. चेतना, रोल नंबर 117324

84. राजेश कुमावत, रोल नंबर 100853

85. अनिल डैया, रोल नंबर 118700

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

86. अग्रज जैन, रोल नंबर 122643

87. कमलेश कुमार शर्मा, रोल नंबर 116552

88. हिमांशु गर्ग, रोल नंबर 118058

89. सुशीला, रोल नंबर 115052

90. दीपिका सिंह, रोल नंबर 121293

91. अमित दवे, रोल नंबर 120353

92. सचिन चुघ, रोल नंबर 102469

93. हरफूल सिंह देवान, रोल नंबर 118530

94. आशुतोष कौशिक, रोल नंबर 118288

95. सीमा सोलंकी, रोल नंबर 116333

96. निशा, रोल नंबर 118547

97. अजीत सिंह राजपूत, रोल नंबर 123113

98. महेंद्र कपूर शर्मा, रोल नंबर 115013

99. विकास कुमार जैन, रोल नंबर 121658

100. विभट सिनवार, रोल नंबर 121054

101. शैलेंद्र मेर्तिया, रोल नंबर 121537

102. मेघ सिंह भाटी, रोल नंबर 119740

103. ज्योति पारीक, रोल नंबर 122312

104. मनोज कुमार शर्मा, रोल नंबर 116510

105. प्रियंका शर्मा, रोल नंबर 119620

106. कमलेश शर्मा, रोल नंबर 123504

107. हेम सिंह शेखावत, रोल नंबर 122607

108. दीपिका शर्मा, रोल नंबर 116706

109. विआहश्री रावत, रोल नंबर 103347

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

110. भोम सिंह चौहान, रोल नंबर 110524

111. पंकज कुमार शर्मा, रोल नंबर 102108

112. विनोद कुमार, रोल नंबर 120741

113. अनीशा शर्मा, रोल नंबर 120582

114. सुशील शर्मा, रोल नंबर 122754

115. श्याम सुंदर सुथार, रोल नंबर 117576

116. मुकेश चंद, रोल नंबर 102585

117. रेणु गुप्ता, रोल नंबर 103270

118. चंदा सिंह राव, रोल नंबर 114497

119. महेंद्र कुमार, रोल नंबर 120419

120. नरेंद्र सिंह, रोल नंबर 114864

121. कविता, रोल नंबर 100067

122. प्रदीप कुमार, रोल नंबर 100966

123. विजय लक्ष्मी सोनी, रोल नंबर 120108

124. गोविंद सिंह, रोल नंबर 119007

125. धर्मेंद्र सिंह, रोल नंबर 121472

126. क्रांति जैन, रोल नंबर 117495

127. राम कुमार मीरवाल, रोल नंबर 116657

128. राकेश यादव, रोल नंबर 102043

129. नरेश सिंह कविया, रोल नंबर 115304

130. जितेंद्र कुमार लखे, रोल नंबर 121000

131. मोती शंकर नागर, रोल नंबर 114714

132. कृष्ण स्वामी, रोल नंबर 103460

133. तरुण कुमार सिंह, रोल नंबर 122218

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

134. हेमा कुमारी, रोल नंबर 102747

135. मुकेश कुमार, रोल नंबर 121036

136. सुमन कुमारी चौधरी, रोल नंबर 114313

137. राजू सिंह, रोल नंबर 120151

138. सोनल सिंह, रोल नंबर 108645

139. ललित सिंह बालापोता, रोल नंबर 122389

140. जितेंद्र खत्री, रोल नंबर 119273

141. महेश कुमार कुमावत, रोल नंबर 119906

142. ओम प्रकाश, रोल नंबर 115144

143. श्वेता सोनी, रोल नंबर 116150

144. विनोद बेनीवाल, रोल नंबर 121761

145. सुरेश कुमार, रोल नंबर 103337

146. राकेश कुमार जांगीर, रोल नंबर 119287

147. मेघ श्याम सिंह, रोल नंबर 102822

148. राकेश कुमार, रोल नंबर 121149

149. प्रियव्रत सिंह, रोल नंबर 123555

150. विशाल चौधरी, रोल नंबर 118647

151. सोनिया वर्मा, रोल नंबर 115016

152. मोहन लाल सोनी, रोल नंबर 103070

153. अजय विक्रम सिंह, रोल नंबर 118645

154. हंसराज खाटिक, रोल नंबर 120589

155. दलीप सिंह, रोल नंबर 122559

156. अनिल कुमार, रोल नंबर 118283

157. सुनीता मीना, रोल नंबर 118232

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

158. जितेंद्र कुमार बेरर, रोल नंबर 119496

159. हनी टाक, रोल नंबर 102326

160. विनोद कुमार चौहान, रोल नंबर 122088

161. रणवीर सिंह, रोल नंबर 120604

162. इंद्र चंद कुमावत, रोल नंबर 121286

163. कौशल सिंह, रोल नंबर 103135

164. राजेश कुमार यादव, रोल नंबर 117265

165. अजय कुमार, रोल नंबर 114922

166. प्रणय चौधरी, रोल नंबर 116767

167. तारा चंद, रोल नंबर 114283

168. धर्मपाल घरू, रोल नंबर 121513

169. सुंदीप कुमार मूंड, रोल नंबर 114347

170. इसारत, रोल नंबर 120517

171. सुरेंद्र सिंह, रोल नंबर 106120

172. राजेश कुमार, रोल नंबर 102712

173. विजय श्री रावत, रोल नंबर 102380

174. कमलेश चौधरी, रोल नंबर 117063

175. विजय कुमार, रोल नंबर 114085

176. योगेश कुमार, रोल नंबर 102567

177. मोहम्मद. अकरम, रोल नंबर 123134

178. मोनिता प्रकाश छिप्पा, रोल नंबर 118889

179. कन्हैया लाल सैनी, रोल नंबर 119770

180. निशा चौधरी, रोल नंबर 103363

181. गुलाब चंद आर्य, रोल नंबर 118950

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

182. विमलेश कुमार चौधरी, रोल नंबर 120756

183. सुरेश कुमार बुडानिया, रोल नंबर 102271

184. मनीष सिधावत, रोल नंबर 100904

185. अदिति शर्मा, रोल नंबर 102273

186. प्रवीण कुमार सोगरा, रोल नंबर 119492

187. कमला कुमारी, रोल नंबर 120657

188. मुकेश कुमार चौधरी, रोल नंबर 122516

189. गजेंद्र आर्य, रोल नंबर 114403

190. नफीसा बानो, रोल नंबर 118497

191. कृष्ण कुमार सैनी, रोल नंबर 117290

192. रंजी देवी बिश्नोई, रोल नंबर 120557

193. प्रमोद कुमार थोरी, रोल नंबर 118100

194. विकास चौधरी, रोल नंबर 103286

195. भूपिंदर सिंह, रोल नंबर 117620

196. पवन कुमार कटारिया, रोल नंबर 118282

197. शिखा राजावत, रोल नंबर 102598

198. महेंद्र कुमार जोली, रोल नंबर 116500

199. विक्रम सिंह चौहान, रोल नंबर 103031

200. रोशन कुमार कोटिया, रोल नंबर 102678

201. विनोद कुमार लबानिया, रोल नंबर 116834

202. पूना सुथार, रोल नंबर 121360

203. सरोज वर्मा, रोल नंबर 114278

204. सविता रोहटेला, रोल नंबर 122053

205. महेश कुमार, रोल नंबर 114289

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

206. मुकेश कुमार सांवरिय, रोल नंबर 117537

207. अमित कुमार मीना, रोल नंबर 103427

208. अंजू सैनी, रोल नंबर 103412

209. आकाश सिंह मीना, रोल नंबर 119077

210. महेश कुमार खींची, रोल नंबर 123060

211. सुरेंद्र खाडिया, रोल नंबर 102470

212. आशा चौधरी, रोल नंबर 123140

213. महिश कुमार सोगरा, रोल नंबर 119503

214. कन्हैया लाल बुरी, रोल नंबर 116533

215. मालती यादव, रोल नंबर 100854

216. अशोक कुमार, रोल नंबर 103019

217. दिनेश लोहिया, रोल नंबर 119501

218. सीता शर्मा, रोल नंबर 119451

219. प्रियंका चौहान, रोल नंबर 121357

220. हरि सिंह डोरिया, रोल नंबर 121212

221. शिरीन घोड़ी, रोल नंबर 102659

222. शैनी दुबे, रोल नंबर 115003

223. अशोक कुमार मीना, रोल नंबर 102527

224. तृप्ति भारती, रोल नंबर 115075

225. रोहित मीना, रोल नंबर 119380

226. नीतू हर्ष, रोल नंबर 102913

227. कृष्णपाल सिंह भा, रोल नंबर 116565

228. नंद लाल मीना, रोल नंबर 103303

229. अमरदीप चौहान, रोल नंबर 117086

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

230. रामसिंह, रोल नंबर 103311

231. वेद प्रकाश मीना, रोल नंबर 121346

232. कुलदीप सिंह बरोली, रोल नंबर 114469

233. विक्रम मीना, रोल नंबर 114753

234. संदीप सोन्थवाल, रोल नंबर 121298

235. योगेश कुमार करहाना, रोल नंबर 117805

236. सपन कुमार, रोल नंबर 117437

237. संजय कुमार मीना, रोल नंबर 120689

238. अशोक कुमार, रोल नंबर 118064

239. संजय कुमार सरोवा, रोल नंबर 116843

240. अनिल कुमार मीना, रोल नंबर 102933

241. सपना वर्मा, रोल नंबर 120230

242. बृजेंद्र सिंह सुरे, रोल नंबर 121430

243. मन मोहन गुर्जर, रोल नंबर 117942

244. मुरलीधर गुर्जर, रोल नंबर 112393

245. निहाल सिंह, रोल नंबर 118392

246. सुगन बाई मीना, रोल नंबर 102606

247. ओम प्रकाश मीना, रोल नंबर 121623

248. नरेश परनामी, रोल नंबर 116811

249. धामवीर सिंह महा, रोल नंबर 103437

250. सुरेंद्र खत्री, रोल नंबर 121918

251. विक्रम सिंह मीना, रोल नंबर 114502

252. बाबू लाल मीना, रोल नंबर 120393

253. अमर सिंह मीना, रोल नंबर 103306

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

254. बबिता पिप्पल, रोल नंबर 102447

255. अनीता मीना, रोल नंबर 114028

256. कुलदीप तलाटी, रोल नंबर 103482

257. रवि शंकर मीना, रोल नंबर 102059

258. जितेंद्र कुमार मीना, रोल नंबर 114532

259. विकास शर्मा, रोल नंबर 103339

260. मुकेश करोल, रोल नंबर 117562

261. सुनीता चावला, रोल नंबर 102181

262. प्रमिला चौधरी, रोल नंबर 103207

263. सुरभि राठौर, रोल नंबर 102301

264. विनोद कुमार डाबी, रोल नंबर 119258

265. कैलाश चंद मीना, रोल नंबर 116923

266. बाऊ लाल मीना, रोल नंबर 122157

267. सविता अहलावत, रोल नंबर 102869

268. ममता देवी चांवला, रोल नंबर 103121

269. हेमंत मीना, रोल नंबर 103296

270. लोकेश कुमार मीना, रोल नंबर 100880

271. किशोर सिंह, रोल नंबर 102794

272. दीपा जाजोरिया, रोल नंबर 119355

273. ब्रिज लता वर्मा, रोल नंबर 122825

274. सुमन बाई, रोल नंबर 103318

275. चित्रा चौहान, रोल नंबर 118354

276. कविता वर्मा, रोल नंबर 121306

277. अंजना आर्य, रोल नंबर 117194

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

278. जेठा राम, रोल नंबर 118307

279. उर्मिला वर्मा, रोल नंबर 100988

280. मंजू वर्मा, रोल नंबर 100674

281. सारिका बाजपेयी, रोल नंबर 116701

282. रेखा चौधरी, रोल नंबर 114184

283. सीमा मीना, रोल नंबर 116967

284. अंजू लता मीना, रोल नंबर 120346

285. सुनीता कुमारी मीना, रोल नंबर 102382

286. गुड्डी मीना, रोल नंबर 114977

287. अनीता वर्मा, रोल नंबर 118108

288. मनीषा मीना, रोल नंबर 114417

प्रतिवादी संख्या 8 से 288 तक, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान के माध्यम से।

प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 268/2016

1. भवानी सिंह शेखावत पुत्र श्री संग्राम सिंह शेखावत, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी सी-291-292, मुरलीपुरा स्कीम, सीकर रोड, जयपुर-302039 (राज.) [9602484848]

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

2. अजय खंडेल पुत्र श्री सांवर मल शर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 354, 4-सी, जमुनापुरी, मुरलीपुरा, जयपुर (राज.) [9468673474]

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, कमरा नंबर 7020, 7226 फूड बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर - 302005 राजस्थान के माध्यम से

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 977/2016

कन्हैया लाल बालायी पुत्र मूल चंद, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी बसडी जोगियान, डाक डबला, तहसील फागी, जिला जयपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, कानून विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, अजमेर।

3. निदेशक (अभियोजन), राजस्थान राज्य, सचिवालय, जयपुर।

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1001/2016

1. मीनू बरीवाल पुत्री श्री एस.आर. कटारिया, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी बी-62, गणेश नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर, राजस्थान। (रोल नंबर 114281)।

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

2. प्रवीण कुमार करागवाल पुत्र श्री गोपी राम करागवाल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वीपीओ फुसेवाळा वाया मिरजेवाला, गाँव और तहसील करणपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान। (रोल नंबर 114240)।

3. कुम. लक्ष्मी देवी पुत्री श्री शीतल चंद जैन, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी भंडारी कॉलोनी, एस.बी.बी.जे. बैंक के पास, सायला, जिला जालोर, वर्तमान में 4/451, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान में रह रही हैं। (रोल नंबर 114862)।

4. कपिल देव शर्मा पुत्र श्री सतीश चंद्र शर्मा, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी बस स्टैंड अलवर के पास, जिला अलवर, राजस्थान। (रोल नंबर 114013)।

5. किशोर कुमार फुलवरिया पुत्र घीसू लाल फुलवरिया, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी जातियो का मोहल्ला, भीनमाल, जिला जालोर। राजस्थान। (रोल नंबर 114678)।

6. रतन कुमार पुत्र श्री राम लाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी मेघवालो का बड़ा वास, रामदेव मंदिर के सामने, नाडोल, तहसील देसर, जिला पाली, राजस्थान। (रोल नंबर 114462)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, सचिवालय, जयपुर - 302005 राजस्थान के माध्यम से।

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान।

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1412/2016

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

निर्मला मीना पुत्री श्री रामचरण मीना, उम्र लगभग 37 वर्ष, जाति से मीना, निवासी प्लॉट नंबर 98, इमलीवाला फाटक, जनकपुरी-द्वितीय, जयपुर, राजस्थान (रोल नंबर 114466)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, सचिवालय, जयपुर - 302005 राजस्थान के माध्यम से।

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान।

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2626/2016

शिखा शर्मा पुत्री श्री भीखा लाल शर्मा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी एफ-78, मोहन नगर, एस.डी.एम. कोर्ट के पीछे, हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान (रोल नंबर 114093)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, सचिवालय, जयपुर - 302005 राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3408/2016

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

रजनी कुबा पुत्री श्री विजय चोपड़ा, पत्नी श्री सौरभ कुबा, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी 55, पटेल नगर, राम मंदिर के पीछे, हवा सड़क, 22 गोदाम, सिविल लाइंस, जयपुर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, कमरा नंबर 7020, 7226, फूड बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर-302005 राजस्थान के माध्यम से
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर राज.

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9922/2016

राजू राम पुत्र श्री पका राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, जाति- सरगरा, निवासी - जीए, 35 टैगोर नगर, करणी माता मंदिर के पास, तहसील और जिला- पाली, राजस्थान (रोल नंबर 115301)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, सचिवालय, जयपुर - 302005 राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10222/2016

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

संदीप बागड़ी पुत्र श्री राधे श्याम बागड़ी, निवासी बी.एच.के. 32, गांधी नगर, नाका मदार, अजमेर, राजस्थान। रोल नंबर 114684

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, सचिवालय, जयपुर - 302005 राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14969/2016

1. निरंजन व्यास पुत्र श्री शिव दयाल व्यास, महेश भवन के पीछे, डागा मोहल्ला, बीकानेर राज.
2. मीनू वर्मा पुत्री श्री मोहन लाल वर्मा, गाँव नथावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज.

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, कमरा नंबर 7020, 7226 फूड बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर - 302005 राजस्थान के माध्यम से
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17399/2016

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

मोहसिन खान पुत्र श्री अब्दुल सत्तार, निवासी, प्लॉट नंबर 6, सीताराम कॉलोनी, गंगापोल गेट के बाहर, बस बदनपुरा, जयपुर राज.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, कमरा नंबर 7020, 7226, फूड बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर-302005 राजस्थान के माध्यम से
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर राज.

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17785/2016

सुनीता पुत्री श्री ईश्वरी लाल, निवासी, ए-10, गंगा-जमुना कॉलोनी, दादी का फाटक, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान, रोल नंबर 114852

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, सचिवालय, जयपुर - 302005 राजस्थान के माध्यम से
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17814/2016

1. राजेंद्र सिंह पूनिया पुत्र गणपत सिंह पूनिया, वीपीओ मेहरदासी वाया-मंडावा, जिला झुंझुनू राज. रोल नंबर- 114022

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

2. अमित व्यास पुत्र चंद्र प्रकाश व्यास, संजय नगर कॉलोनी, जालोर क्लब के पीछे, जिला- जालोर राज. रोल नंबर-114990

3. अनीता सांखला पुत्री एस.आर. कटारिया, एम 8-ए, आनंदपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर राज. रोल नंबर-115096

4. अजीत सिंह पुत्र जय सिंह, गाँव पोस्ट मोमनपुर तलवाड़, तहसील- बहरोड़, जिला- अलवर राज. रोल नंबर-115267

5. रामपाल शर्मा पुत्र रामविलास शर्मा, 33/7 शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर राज. रोल नंबर 103488

6. ओमप्रकाश पुत्र सुजाराम, गाँव पोस्ट बावरला, तहसील- सांचोर, जिला- जालोर राज. रोल नंबर-114981

7. संजय कुमार पुत्र श्री भागू राम, गाँव कुलोद खुर्द, पोस्ट- खातेहपुरा, जिला- झुंझुनू राज. रोल नंबर-103404

8. संध्या कुमारी उत्वाल पुत्री सुरेश कुमार, बी-74, होटल बसंत के पास, ऑप- एयरपोर्ट टर्मिनल-1, पोस्ट सांगानेर, तहसील- सांगानेर, जिला- जयपुर राज. रोल नंबर 114902

9. नीतू कुमारी पुत्री खेमचंद, मकान नंबर 510/43, कपिल वस्तु कॉलोनी, गली नंबर-3, पोस्ट- धोला भाटा, जिला अजमेर राज. रोल नंबर 114303

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, कमरा नंबर 7020, 7226 फूड बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर-302005 राजस्थान के माध्यम से

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 122/2017

जय देव पुत्र श्री देवेंद्र कुमार चौधरी, निवासी चौधरी, राजा जी का बास, पुलिस लाइन के पास, अलवर-301001

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, कमरा नंबर 7020, 7226 फूड बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर-302 005 राजस्थान के माध्यम से

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर राज.

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2336/2017

अनुराग चौधरी पुत्र श्री उमेद सिंह, 156, गिरनार कॉलोनी दक्षिण, वैशाली नगर, जयपुर राज.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, अभियोजन विभाग, कमरा नंबर 7020, 7226, फूड बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर-302005 राजस्थान के माध्यम से

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11922/2016

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

घनश्याम यादव पुत्र श्री रणवीर सिंह यादव, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी गाँव शाहपुर, डाक गुण्टा, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, अजमेर, राजस्थान

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में

श्री प्रतीक माथुर

श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा

श्री तनवीर अहमद के साथ

श्री राकेश धवन

श्री जैद उल हक

प्रतिवादी की ओर से : श्री एम.एफ. बेग

श्री प्रदीप कलवानिया, जी.सी. के साथ

श्री शिवम चौहान

श्री राजेंद्र सोनी के साथ

श्री विशाल सोनी

श्री आशीष शर्मा

श्री भागवत सिंह

माननीय श्री न्यायमूर्ति समीर जैन

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

आरक्षित : 13/05/2024

घोषित: 12/07/2024

1. वर्तमान रिट याचिकाओं के समूह में, विवाद का दायरा समान है। इसलिए, दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों की सहमति से, याचिकाओं के इस वर्तमान समूह को अंतिम निपटान के लिए संयुक्त रूप से लिया जा रहा है। तर्कों को दर्ज करने के उद्देश्य से, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1022/2016 को मुख्य फाइल के रूप में लिया जा रहा है।

2. यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

> *"1. ए.पी.ओ. परीक्षा, 2015 की संपूर्ण चयन प्रक्रिया और 19.11.2016 के परिणाम को रद्द और अलग किया जा सकता है और ताजा चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आगे निर्देश दिया जा सकता है या वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादियों की कार्रवाई-चूक, जिसमें याचिकाकर्ताओं को ए.पी.ओ. परीक्षा, 2015 के 19.11.2016 को घोषित अंतिम परिणाम में, उनके द्वारा प्राप्त वास्तविक अंकों के अनुसार नहीं बल्कि समतुल्य अंकों के आधार पर, ए.पी.ओ. के पद के लिए नहीं चुना गया, को मनमाना घोषित किया जा सकता है और रद्द और अलग किया जा सकता है और तदनुसार, प्रतिवादियों को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त वास्तविक अंकों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया जा सकता है, जो विज्ञापन (अनुलग्नक 1) के अनुसरण में है।*
>
> *2. न्याय के हित में, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को, जिनके पास कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक हैं, ए.पी.ओ. ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति की अनुमति देने का निर्देश दिया जा सकता है।*
>
> *3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जो भी अन्य उपयुक्त आदेश उचित और सही पाया जाए, वह याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पारित किया जा सकता है।"*

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सहायक अभियोजन अधिकारी (ए.पी.ओ.) के पद पर भर्ती के लिए प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा 15.05.2015 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा की योजना के अनुसार, चयन प्रक्रिया में दो चरण शामिल थे, यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। पूर्व चरण यानी लिखित परीक्षा में दो पेपर शामिल थे, जिसमें उम्मीदवारों को 'साक्षात्कार' के बाद के चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पेपर में स्वतंत्र रूप से 35% अंक और कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता ने 18.10.2015 को उदयपुर में आवंटित केंद्र पर आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लिया। बाद में, प्रतिवादी-आरपीएससी ने 20.10.2015 को एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उदयपुर और अलवर में परीक्षा केंद्रों पर कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण, उम्मीदवारों की पेपर-I परीक्षा (ऑनलाइन) शुरू नहीं हो सकी और इसलिए, पेपर-I और पेपर-II की परीक्षा 25.10.2015 को उन उम्मीदवारों के लिए फिर से आयोजित की जाएगी जिन्हें उपर्युक्त परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने उक्त पुनः परीक्षा में विधिवत भाग लिया।

4. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आरोप लगाया कि 18.10.2015 और 25.10.2015 को आयोजित दो परीक्षाओं के कठिनाई स्तर में एक महत्वपूर्ण अंतर था, और इसलिए, विसंगतियों को दूर करने के एक कथित प्रयास में, प्रतिवादी-आरपीएससी ने अंकों की 'स्केलिंग' की असामान्य, अवैज्ञानिक और मनमानी पद्धति शुरू की। यह तर्क दिया गया कि अंकों की उक्त स्केलिंग के कारण, उम्मीदवारों द्वारा वास्तव में प्राप्त अंकों और स्केलिंग के बाद संशोधित परिणाम में परिलक्षित अंकों के बीच

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

एक बड़ा अंतर उत्पन्न हुआ। इसलिए, उक्त स्केलिंग के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया के बाद के चरण यानी साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे। इस चरण पर, विद्वान वकील ने आरोप लगाया कि 'स्केलिंग' की पद्धति को अपनाने का तथ्य विज्ञापन में नहीं बताया गया था और इसलिए, इसे बाद के चरण में नहीं अपनाया जा सकता था। इसके अलावा, प्रतिवादी/आरपीएससी के नियम भी स्केलिंग की उक्त पद्धति को मान्यता नहीं देते हैं। इसलिए, ऐसी पद्धति को अपनाने मात्र से पूरी चयन प्रक्रिया दूषित हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया से मनमाने ढंग से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वे साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर पाए थे।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि 26.04.2023 के पत्र के माध्यम से प्राप्त आरटीआई जानकारी के अनुसार, आज तक 19 रिक्तियां/सीटें अभी भी मौजूद हैं। प्रस्तुत किए गए तर्कों के समर्थन में, **संजय सिंह और अन्य बनाम यू.पी. पब्लिक सर्विस कमीशन** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया, जो **(2007) 1 SCC 639** में रिपोर्ट किया गया है। इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भी भरोसा रखा गया, जैसा कि **सरिता नौशाद और अन्य बनाम आरपीएससी** और अन्य में प्रतिपादित किया गया है, जो **(2009) 4 WLC 679** में रिपोर्ट किया गया है और **ऋषभ सक्सेना बनाम राजस्थान राज्य** और अन्य में, जो **(2015) 1 WLC 335** में रिपोर्ट किया गया है। उक्त निर्णयों पर भरोसा रखते हुए, यह निर्णायक रूप से तर्क दिया गया कि विशेषज्ञ की सिफारिश के आधार पर स्केलिंग फॉर्मूला को अपनाने का

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

कानूनी क्षेत्र में कोई संबंध नहीं है, इसलिए, भ्रामक परिणाम सामने आते हैं, खासकर जब ऐसी पद्धति को नियमों/विज्ञापन में नहीं बताया गया था।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने, शुरू में ही, आज तक वर्तमान याचिका की विचारणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई। इस संबंध में, यह आरोप लगाया गया था कि विषय विज्ञापन वर्ष 2015 में भर्ती के लिए जारी किया गया था। आज तक, विज्ञापन जारी होने के बाद से लगभग 8 साल बीत चुके हैं। इसके अलावा, इस बीच, रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए ए.पी.ओ. के पद पर भर्ती के लिए, बाद में विज्ञापन जारी किए गए हैं और बहुत कुछ हो चुका है। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दी गई थी। इसलिए, आज तक, समय के बीतने के कारण याचिकाएं निष्फल हो गई हैं।

7. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने, योग्यता पर, प्रस्तुत किया कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि असाधारण स्थितियों/परिस्थितियों में बड़े जनहित में प्रशासनिक निकाय द्वारा उचित निर्णय लिए जा सकते हैं। इस संबंध में, यह आरोप लगाया गया था कि उदयपुर और अलवर में परीक्षा केंद्रों पर कुछ तकनीकी गड़बड़ी/खराबी के कारण, अपेक्षित परीक्षा शुरू नहीं हो सकी और परिणामस्वरूप इसे नए सिरे से पुनर्निर्धारित करना पड़ा। इसलिए, पूर्व और बाद के पेपरों के बीच कठिनाई की अलग-अलग डिग्री को एकरूपता देने और बेअसर करने के लिए, बड़े जनहित में, विशेषज्ञों के एक निकाय से सुझाव प्राप्त करने के बाद, इक्विपरसेंटाइल स्केलिंग की विधि शुरू की गई थी। परिणामस्वरूप, कठिनाई में अंतर को

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

दूर करने और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, इक्विपरसेंटाइल विधि को अपनाया गया था। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि आज तक, कोई रिक्ति मौजूद नहीं है। यह दोहराया गया कि समय-समय पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय की खंडपीठ ने भी यह प्रतिपादित किया है कि असाधारण परिस्थितियों में, बड़े लोक प्रशासन और सार्वजनिक संतुष्टि को पूरा करने के लिए वैध निर्णय लिए जा सकते हैं और तदनुसार, इक्विपरसेंटाइल विधि, जो प्रकृति में वैज्ञानिक है, का उपयोग दो परीक्षाओं के कठिनाई स्तर और अंतर को दूर करते हुए उम्मीदवारों के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। प्रस्तुत किए गए तर्कों के समर्थन में, **रंजना अटल बनाम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विस एंड अन्य** में प्रतिपादित फैसले पर भरोसा रखा गया, जो **(2022) 11 SCC 578** में रिपोर्ट किया गया है और **एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 4088/2022 गौरव शर्मा बनाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन** में भी।

8. अंत में, बहस के दौरान, प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने, जो न्यायालय में उपस्थित थे, प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इक्विपरसेंटाइल विधि का उपयोग योग्यता सूची तैयार करने के लिए सबसे तार्किक और तर्कसंगत तरीका था, जिसे वैज्ञानिक और सांख्यिकीय अनुमोदन प्राप्त है।

9. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया गया, याचिकाओं के रिकॉर्ड की जांच की गई और अदालत में उद्धृत फैसलों का अवलोकन किया गया।

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

10. सबसे पहले, योग्यता पर निर्णय से पहले, यह न्यायालय विचाराधीन विवाद के प्रभावी निपटान के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और/या शर्तों को ध्यान में रखना उचित समझता है। वे नीचे दिए गए हैं:

10.1 सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के पद पर भर्ती के लिए संबंधित विज्ञापन वर्ष 2015 में जारी किया गया था। आज तक, उक्त विज्ञापन जारी होने के बाद से लगभग 9 साल बीत चुके हैं। इसके अलावा, बाद में, APO के पद पर भर्ती के लिए अलग-अलग विज्ञापन भी जारी किए गए हैं।

10.2 उदयपुर और अलवर में परीक्षा केंद्रों पर कुछ तकनीकी खराबी/गड़बड़ी के कारण, आवश्यक परीक्षा शुरू नहीं हो सकी और परिणामस्वरूप, इसे नए सिरे से पुनर्निर्धारित करना पड़ा।

10.3 18.10.2015 और 25.10.2015 को आयोजित परीक्षाओं के बीच कठिनाई का स्तर अलग-अलग था और इसलिए, कठिनाई के संबंध में उक्त अंतरों को बराबर करने और सुलझाने के लिए, प्रतिवादी-आरपीएससी ने योग्यता सूची तैयार करने के लिए इक्विपरसेंटाइल विधि को लागू किया।

10.4 इक्विपरसेंटाइल विधि को प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा अध्यक्ष की उचित मंजूरी और विशेषज्ञों द्वारा दिए गए राय पर विधिवत विचार करने के बाद अपनाया गया था।

10.5 इक्विपरसेंटाइल विधि को सभी उम्मीदवारों पर बड़े पैमाने पर समान रूप से अपनाया गया था, न कि कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में।

10.6 इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अंतरिम सुरक्षा लागू नहीं थी।

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

11. उपरोक्त शर्तों के संचयी विचार पर, यह न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर इस याचिका को खारिज करना उचित समझता है, अर्थात्:-

11.1 सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के पद पर भर्ती के लिए संबंधित विज्ञापन लगभग 9 साल पहले यानी 15.05.2015 को जारी किया गया था। इस बीच, रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए APO के पद पर भर्ती के संबंध में, बाद में विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसलिए, आज तक, 2015 की चयन प्रक्रिया के संबंध में बहुत कुछ हो चुका है, खासकर जब चयन प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है। आज तक, वर्तमान याचिका में हस्तक्षेप का विस्तार करना एक निरर्थक और मात्र अकादमिक महत्व का अभ्यास होगा, जो देर से आने पर 2015 की पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित करने में सक्षम है, खासकर जब याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अंतरिम सुरक्षा लागू नहीं थी।

11.2 याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क कि इक्विपरसेंटाइल विधि का परिचय और/या अपनाया जाना मनमाना, गैर-वैज्ञानिक और अनुचित है, को इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त विधि को केवल 18.10.2015 और 25.10.2015 को आयोजित परीक्षाओं में कठिनाई के अलग-अलग स्तरों द्वारा उत्पन्न असाधारण चुनौती को दूर करने के लिए समान रूप से पेश किया गया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि इक्विपरसेंटाइल विधि को नियमित पाठ्यक्रम में अपनाया गया था; बल्कि, यह केवल बाद के घटनाक्रमों जैसे तकनीकी गड़बड़ियों के कारण बाद की परीक्षा के संचालन के कारण ही ऐसी विधि को अपनाया गया था। इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि इक्विपरसेंटाइल विधि का परिचय अनुचित और/या भेदभावपूर्ण था, क्योंकि यह APO के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू थी।

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

यह कहने के बाद, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चूंकि इक्विपरसेंटाइल विधि को एक असाधारण स्थिति में अपनाया गया था जो बाद के तथ्यों के कारण उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे विज्ञापन के मुख्य भाग में परिलक्षित नहीं किया जा सका।

11.3 उपरोक्त असाधारण स्थिति में, इक्विपरसेंटाइल विधि को प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा अध्यक्ष की उचित मंजूरी के साथ, विशेषज्ञों की राय पर विधिवत विचार करने के बाद अपनाया गया था। इसके अलावा, उक्त विधि को सभी उम्मीदवारों पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया गया था। इस प्रकार, यह बहुत अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि इक्विपरसेंटाइल विधि की प्रयोज्यता के संबंध में कोई दुर्भावना, धोखाधड़ी, छिपाव या दमन नहीं था।

11.4 इक्विपरसेंटाइल विधि की सार्वभौमिक प्रयोज्यता, स्वीकृति और वैधता को **रंजना अटल (सुप्रा)** और **गौरव शर्मा (सुप्रा)** में प्रतिपादित फैसले से भी अनुमान लगाया जा सकता है।

रंजना अटल (सुप्रा) में:-

> *"8. विश्वविद्यालय को 393 शिकायतें मिलीं। लगभग 200 शिकायतें परीक्षा को फिर से आयोजित करने के लिए थीं क्योंकि छात्रों के डर के कारण एक ही तरह की परीक्षा के लिए दो पेपरों के कठिनाई सूचकांक और छात्रों को आवंटित अंकों के विचरण को इंगित किया गया था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भ्रष्टाचार, अनुचित साधनों, पेपर लीक और प्रतिरूपण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। विश्वविद्यालय को जवाब देने के लिए जो मुख्य शिकायत बची थी, वह 11.02.2012 और 14.02.2012 को दो अलग-अलग दिनों में प्री पीजी मेडिकल/डेंटल परीक्षा, 2012 में उपस्थित हुए छात्रों के परिणाम की समकक्षता और एकरूपता थी ताकि इस परीक्षा में*

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

उपस्थित किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई लाभ और हानि न हो। अन्य विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे कि मणिपाल विश्वविद्यालय, जीआरई, टीओईएफएल, यूएसएमएलई, जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न दिनों में एक ही उद्देश्य के लिए आयोजित की जाती हैं, के पूरे परिदृश्य को देखते हुए, लेकिन उनके द्वारा अंत में दिए गए अंकों को परसेंटाइल के समानीकरण के संदर्भ में सांख्यिकीय समकक्षता द्वारा समायोजित किया जाता है और अंत में विभिन्न दिनों में उपस्थित हुए सभी छात्रों का परिणाम इंटरल-से योग्यता के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाता है। परिणाम में इस सांख्यिकीय समकक्षता को लागू करने की पद्धति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है और कानून की अदालत में भी साबित किया जाता है।

43. उपरोक्त आधिकारिक घोषणाओं के मद्देनजर, हमें appellants के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं मिलता है कि एकल पीठ द्वारा दी गई राहत रिट याचिका में नहीं मांगी गई थी या यह रिट याचिका में मांगी गई राहत के विपरीत है। एकल पीठ 11.02.2012 और 14.02.2012 के परीक्षार्थियों की इंटरल-से योग्यता तैयार करने के उद्देश्य से एसईपी प्रक्रिया को लागू करने के लिए प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के निर्णय के संबंध में बाद की घटनाओं पर विचार करने में बिल्कुल कानूनी और न्यायोचित थी और एसईपी विधि को पेश करके सभी उम्मीदवारों की संशोधित योग्यता सूची प्रकाशित करने और उस आधार पर प्रवेश देने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने में भी।

44. हरीश वर्मा और अन्य बनाम अजय श्रीवास्तव और अन्य (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्नातकोत्तर छात्रों के चयन से संबंधित विनियम 9 पर विचार किया और उसके पैरा 18 में, कई निष्कर्षों पर विचार करते हुए, एक निष्कर्ष कि सेवारत उम्मीदवारों और गैर-सेवारत उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए केवल एक

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

सामान्य प्रवेश परीक्षा हो सकती है, पर विचार किया गया था। वर्तमान मामले में, 11.02.2012 को एक सामान्य प्रवेश परीक्षा थी, हालांकि, एक केंद्र पर कंप्यूटर सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण, उस विशेष केंद्र की परीक्षा को 14.02.2012 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था और उस विशेष केंद्र के अप्रत्याशित परिणाम को देखते हुए, जहां 14.02.2012 को परीक्षा हुई थी, शैक्षणिक परिषद, कोर कमेटी और शिकायत समिति ने संबंधित उम्मीदवारों से शिकायतें आमंत्रित करने का निर्णय लिया और उसके बाद, विश्वविद्यालय द्वारा एसईपी प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हरीश वर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (सुप्रा) लागू नहीं होता है और इसे अलग किया जा सकता है।

46. हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश इस संबंध में प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के निर्णय में हस्तक्षेप न करने में बिल्कुल सही थे।"

गौरव शर्मा (सुप्रा) में:-

"32. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर ये रिट याचिकाएं निम्नलिखित कारणों से खारिज किए जाने योग्य हैं; पहला, क्योंकि स्केलिंग के सूत्र को लागू करके 14 अलग-अलग वैकल्पिक विषय, जिनमें समूहीकरण शामिल था, उपलब्ध थे, प्रतिवादी ने सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किया और इसलिए, विशेषज्ञ निकाय द्वारा स्केलिंग सूत्र को सही ढंग से लागू किया गया है; दूसरा, कोई आरोप नहीं है कि पेपर/प्रश्न नियमों के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर है; तीसरा, पूर्ण आयोग ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर स्केलिंग के सूत्र को लागू करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया है, इसलिए, यह न्यायालय यूपीएससी बनाम एम. सथिया प्रिया के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णय पर एक

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठ सकता है; चौथा, उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद प्रक्रिया को चुनौती दी है, मेरे विचार से, याचिकाकर्ता अशोक कुमार (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मद्देनजर, उसी में भाग लेने के बाद इसे चुनौती देने से विवश हैं; पांचवां, 32382 उम्मीदवारों में से, केवल 17 उम्मीदवारों ने वर्तमान रिट याचिकाएं दायर करके इस न्यायालय का रुख किया है, जबकि अध्यक्ष या बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ कोई दुर्भावना का आरोप नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी और अन्य (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मद्देनजर, रिट याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए और; अंत में, तथ्यों और परिस्थितियों में, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हूं।"

11.5 इक्विपरसेंटाइल विधि को प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा केवल एक असाधारण स्थिति में अपनाया गया था और उसे मंजूरी दी गई थी, जिसकी विज्ञापन जारी होने के समय भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए फैसले तथ्यात्मक रूप से अलग हैं।

12. इसलिए, उपरोक्त अवलोकनों के आलोक में, यह याचिका खारिज की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), न्यायाधीश

जेकेपी/32-47

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(29/05/2025 को 04:56:17 PM पर डाउनलोड किया गया)